Minister come and say that he does not know anything ? I want your specific instructions on this.

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : I said that the Ministry of Law did not receive any complaint, nor the Election Commission. I again repeat it. . . .

SHRI KRISHAN KANT : This is my point of order, about what the hon. Members say in this House, does the Government take cognisance or not? It should take Members of this House seriously. My friend, Mr. Chettri, mentioned those names. The Government of India is collectively responsible. We want your instructions and directions in this matter.

MR. CHAIRMAN : If anything has been said in this House, the Government has to take notice of it.

श्री लाल आडवाणी : श्रीमन्, मैं ने उस समय आपत्ति नहीं उठाई जब माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया प्रश्न के 'बी' पार्ट के सम्बन्ध में । प्रश्न यह था —"(b) whether Government have received any complaints on this account;" and the reply of the Minister is that he has not received any complaint. It was evidently evasive. उसका मतलब यह था कि क्या वहां इलेक्टोरल आफीसर के खिलाफ किसी ने आपत्ति की है । उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी । यहां जो जवाब दिया गया उससे यह निकलता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, आगे हम कार्यवाही करेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में आप सरकार को एडमोनिश करें कि इस प्रकार के इवेजिव जवाब न दे । स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए । मैं एक निवेदन करके समाप्त कर दूंगा कि इस विषय में जो पत्रव्यवहार हुआ है, चाहे इलेक्शन कमीशन से, चाहे आसाम गवर्नमेंट से, वह सदन के पटल पर रख दिया जाय तो पता लगेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : आप आदेश देंगे तो हमें उस में आपत्ति नहीं । हम वह पत्र व्यवहार सदन की मेज पर रख देंगे ।

श्री लाल आडवाणी : उन्होंने किस तारीख को उत्तर दिया . . .

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जो पत्र असम गवर्नमेंट को लिखा गया है जैसे की उनका उत्तर आ जायेगा, हम वह दोनों ही आप के पास भेज देंगे । इस में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

SHRI KRISHAN KANT: No, Sir. That is not the question .. .

MR. CHAIRMAN : I have made my observations that the Government has to take notice of what is said in this House. I think that should be enough.

SHRI KRISHAN KANT: They should inform Us what has happened.

Shortage of Railway wagons for Transportation of Rock Phosphate

*297. SHRIMATI LAKSHMI KUMARI CHUNDAWAT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is fact that rock phos phate from Jhamra Kotra mines is being dumped in railway yards due to shortage of wagons;

(b) the number of wagons demanded and number of wagons actually supplied for transportation of rock phosphate ;

(c) whether it is also a fact that adequate facilities are not being provided at Kharwa Chanda Station for the purpose and, if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government have any proposal under their consideration to construct a railway line upto the Jhamra Kotra mines for quicker transportation of rock phosphate ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No sir.

(b) During the period January to July, 74 the loading, outstanding and the oldest date of registration at Udaipur and Umra stations for rock phosphate are given below:—

(c) and (d) State Government of Rajas-than have not favoured the proposal to develop any facilities at Kharwa Chanda Station.

Station	Loading	Out-stand-ing	Oldest date of regis-tration
Jaipur .	1,615	134	4-7-74
Umra . .	490	111	16-7-74

At present there is no proposal under consideration to construct any railway line up to Jhamra Kotra mines.

However, one additional line has been provided each at Udaipur and Umra to handle the increased traffic in rock phosphate.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत : मुझे तो टेबिल पर इसका उत्तर मिला नहीं है इस लिए मंत्री जी इसका जवाब सुना दें तो मेहरबानी होगी ।

श्री सभापति : यह नहीं होगा ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत : मैं यह पूछना चाहूंगी कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वहां पर राक फास्फेट 4 करोड़ रुपये का स्टेशन पर जमा हो रहा है और यह राक फास्फेट फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है और यह फारेन एक्सचेंज की सेविंग भी करता है और वैगन्स वहां पर पहुंच नहीं रहे हैं । तो मैं जानना चाहती हूं कि वहां पर कितने वैगन्स की जरूरत है और आपने कितने वैगन्स वहां भेजे हैं ?

شری محمد شفیع قریشی: راک فاسفیٹ کا سسٹم یہ ہے کہ وہ جتنا برآمد ہوتا ہے اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور سچائی یہ ہے کہ جنوری ۷۴ ع میں ہمارا لوڈنگ قریب ۹۷ ویگنس کا تھا لیکن اب وہ بڑھ کر ۶۲۳ ہوگیا ہے۔ اور ۶۳۷ آوٹ اسٹینڈنگ انڈینٹس تھے۔ اب وہ گھٹ کر ۱۷۲ ہوگئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ چند دنوں میں ہی بیک لاگ ہٹا دیا جائے گا۔

†[**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : राक फास्फेट का सिस्टम यह है कि वह जितना बरामद होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और सच्चाई यह है कि जनवरी 74 ई० में हमारा लोडिंग करीब 97 वैगन्स का था लेकिन अब वह बढ़ कर 623 हो गया है और 637 आउट स्टेंडिंग इन्डेन्ट्स थे । अब वे घट कर 172 हो गये हैं । हमें उम्मीद है कि चन्द दिनों में ही बेकार लोग हटा दिये जायेंगे ।]

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत : वहां रोजाना 70 वैगन्स की जरूरत है और मैं जानना चाहती हूं कि आप कितने वैगन रोज वहां भेज रहे हैं । चार करोड़ का जखीरा वहां जमा है या नहीं यह भी बतला दें ।

شری محمد شفیع قریشی: وہاں راک فاسفیٹ کا ایک جگہ اسٹاک کیا جاتا ہے اور اس کو ریلوے ویگن سے ہٹایا جاتا ہے۔ وہ چار کروڑ کا ہے یا تین کروڑ کا یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن پہلے کے مقابلہ میں کافی کم ہو گیا ہے اور تھوڑے عرصہ میں ہی جو بیک لاگ ہے اس کو بھی امید ہے ہم ختم کردیں گے۔

†[**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : वहां राक फास्फेट का एक जगह स्टाक किया जाता है और इसको रेलवे वैगन्स से हटाया जाता है–वह चार

†[ ] Hindi transliteration.

करोड़ का है या तीन करोड़ का यह मैं नहीं कह सकता लेकिन पहले के मुकाबले में काफी कम हो गया है और थोड़े अर्से में ही जो बैक लाक है उसको भी उम्मीद है हम खत्म कर देंगे ।]

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : वहां रोजाना 70 वैगन्स की जरूरत है। मैं जानना चाहती हूं कि आप उसको कब तक पूरा कर सकेंगे । रोजाना के आउट पुट के हिसाब से हमको 70 वैगन्स वहां चाहियें, आप रोजाना वहां कितने भेज रहे हैं ?

شری محمد شفیع قریشی: یہ کہنا اس وقت مشکل ہے کہ ۱۷۲ انڈینٹس جو ہیں وہ کب تک ختم ہونگے لیکن ویگنس کی اویلیبلیٹی کافی ہوچکی ہے- میرے پاس آنکڑے نہیں ہیں کہ کتنے ویگنس پر ڈے وہاں جارہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا-

†[**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : यह कहना इस त मुश्किल है कि 172 इन्डेन्ट्स जो हैं वह ब तक खत्म होंगे लेकिन वैगन्स की एवेले- लटी काफी हो चुकी है । मेरे पास आंकड़े ों हैं कि कितने वैगन्स पर डे वहां जा रहे हैं केन मैं समझता हूं कि एक महीने के अन्दर दर यह सब काम ठीक हो जायेगा ।]

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मेरा पटि- र क्वेश्चन है कि राक फास्फेट ढोने के लिए ने वैगनों की मांग की गई थी और वस्तुत: ने वैगनों की सप्लाई की गयी है । इसका ने कोई जबाव नहीं दिया ।

e number of wagons demanded and nber of wagons actually supplied for sportation". This was my catego-question.

HRI MOHD. SHAFI QURESHI: I not have the figures available with me ; I will give them to the hon. Member later.

श्री रबी राय : प्वाइंट आफ आर्डर । जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब तो पहले से तैयार होना चाहिए ।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: The question is, what is the demand of wagons per day and what is available? I have said that I have got figures of wagon availability for each month, not per day. In January 1974 we supplied only 97 wagons but the situation has considerably improved, and in July, we have supplied 633 wagons. That is, for the month of July, that comes to 20 to 25 wagons per day. I said, now the backlog has come down from 637 indents to 172. It will take another month or so to clear the backlog.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I have said that I do not have the figures of the total demand.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : फिर आप बता दीजिये न कि कितने वैगन्स की मांग की गई थी और कितने आपने भेजे ?

श्री राजनारायण : प्वाइंट आफ आर्डर । आपने स्पष्ट संकेत किया अभी एक मंत्रालय को और मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्या का जो प्रश्न (ख) है कि राक फास्फेट ढोने के लिए कितने वैगनों की मांग की गई थी और वस्तुत: कितने वैगनों की सप्लाई की गई, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं । इसके उत्तर में ही सारे का सारा रेलवे का करप्शन छिपा है ।

श्री सभापति : आप बैठिये ।

SHRI RABI RAY: Why ?

MR. CHAIRMAN : That you have already said. Members want to know why you could not get that figure.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Sir, to get the figures up to date I need some time. I will place them before the House next week.

] Hindi transliteration.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि रेलवे वैगनों की सप्लाई की दृष्टि से एक अलग विभाग बनाया गया है और मिश्र जी स्वयं इस विभाग को देखते हैं और क्या यह सही है कि वैगन सप्लाई का जो मामला है इसको आप स्वयं देखते हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं नहीं देखता हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप नहीं देखते हैं, इसलिए क्या यह बात सही है कि जो डिवीजनल मैनेजर या जोनल मैनेजर हैं उनको इस बात का अधिकार है कि आउट आफ प्रायोरिटी जहां उनकी मर्जी आती है वहां वैगन सप्लाई करते हैं ? इस प्रकार से जब सप्लाई करते हैं तो क्या यह बात भी सही है कि प्रत्येक स्टेशन के ऊपर जो भ्रष्टाचार की बात रेलवे के ऊपर है कि जब तक कुछ न दिया जाए तब तक वैगन नहीं मिलते? कारण यह नहीं है कि वैगन नहीं हैं, कारण यह है कि वैगन विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हैं । इसलिए आप बताइये कि उदयपुर में राक फासफेट को बनाने के लिए कितने वैगनों की कैपेसिटी है और इनके कारण से कितना नुकसान हो रहा है ?

<u>شری محمد شفیع قریشی:</u> راک فاسفیٹ کی ریلوے میں پرائیوریٹی مقرر ہے جیسے فوڈ گرین 'فرٹلائزر' کوئلے کی ہے- فوڈ گرینس جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجا جاتا ہے وہ سی کیٹیگری میں آتا ہے- راک فاسفیٹ ڈی کیٹیگری میں آتا ہے- اس کو کوئی زونل مینیجر یا زونل سپرنٹینڈینٹ تبدیل نہیں کرسکتا- یہ کہنا کہ وہاں کے ڈویژنل سپرنٹینڈینٹ اپنی مرضی سے ویگن لیتے ہیں یہ کسی حد تک صحیح نہیں ہے-

†[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: राक फासफेट की रेलवे में प्रायोरिटी मुकर्रर है जैसे फूड ग्रेन, फर्टीलाइजर, कोयले की है । फूड ग्रेन्स जो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है वह सी केटेगिरी में आता है । राक फासफेट डी केटेगिरी में आता है इसको कोई जोनल मैनेजर या जोनल सुपरिटेन्डेन्ट तबदील नहीं कर सकता । यह कहना कि वहां डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट अपनी मर्जी से वैगन्स लेते हैं यह किसी हद तक सही नहीं है ।]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : 5 वैगन, 10 वैगन तो दे सकते हैं अपनी मर्जी से ?

<u>شری محمد شفیع قریشی:</u> کیٹیگری تو کوئی چینج نہیں کرسکتا- راک فاسفیٹ اور فوڈ گرینس کی جو پرائیورٹی مقرر ہے اس کو نہیں بدلا جاسکتا-

†[**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** केटेगिरी को कोई चेंज नहीं कर सकता । राक फासफेट की और फूड ग्रेन्स की जो प्रायोरिटी मुकर्रर है उसको नहीं बदला जा सकता ।]

डा० राम कृपाल सिंह : इन वैगनों की कमी कारण क्या यह है कि जो प्राइवेट व्यापारी वैगन के लिये 2 हजार रुपया प्रति वैगन देते हैं उनको तो वैगन मिलता है और जो पब्लिक बाडीज हैं या कारपोरेट बाडीज हैं या सरकारी कंसर्न हैं जो पैसा नही दे सकते हैं उनको नहीं मिलते ?

<u>شری محمد شفیع قریشی:</u> یہ بات نہیں- یہ بالکل غلط بات ہے-

†[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह बात नहीं है । यह बिलकुल गलत बात है ।]

डा० राम कृपाल सिंह : इसकी जांच के लिए आप तैयार हैं ?

<u>شری محمد شفیع قریشی:</u> غلط کی جانچ کیوں کریں-

†[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : गलत की जांच क्यों करें ?]

†[ ] Hindi transliteration.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, क्या सरकार इस बात की जानकारी करेगी और इस सदन को सूचित करेगी कि राक फासफेट को ढोने के लिए जो वैगनों की कमी हो रही है उसका एक मुख्य कारण यह है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में नाजायज ढंग से कोयले के लिए वैगन दिये जाते हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा . . .

श्री सभापति : कोयले का सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सुन लिया जाए, जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा उसकी जानकारी मुझको भी है कि प्रति दिन 12 लाख रुपये कोयले के वैगन सप्लाई करने में नाजायज तरीके से रेल मंत्रालय के पास आते हैं जिसको मंत्री से लेकर अधिकारी तक बांटते हैं। इसलिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की फिगर्स दे दें तो पता चलेगा कि वहीं वैगन चले जाते हैं जिससे कि राक फास्फेट जैसी आवश्यक चीजों के लिए वैगन नहीं मिलते। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कैटेगिरी नियुक्त कर दी है, लेकिन जब माननीय मंत्री जी का यहां से टेलीफोन खड़कता है तमाम कैटेगिरीज खत्म हो जाती हैं और जो इनके चहेते होंगे उनको वैगन दे देंगे, जिस को चाहेंगे नहीं देंगे। तो यह जो अव्यवस्था है इसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

شری محمد شفیع قریشی: یہ جو الزام انہوں نے لگایا ھے یہ جو بات انہوں نے کہی ھے بالکل غلط ھے- کئی بار اس سدن میں کہہ چکا ہوں کوئلے کی ڈسٹری بیوشن کا جہاں تک تعلق ھے اسٹیٹ گورنمنٹ اس کو اسپونسرڈ کرتی ھے- ریلوے کوئلہ نہیں بیچتی ویگن سپلائی کرتی ھے- اسٹیٹ گورنمنٹ اپنا انڈینٹ بھیجتی ھیں اور ان کے اسپونسرڈ کیئے ہوئے پروگرام کے مطابق ویگن دئے جاتے ھیں یہ غلط ھے ریلوے منسٹر الیے یا منسٹر کسی کو ویگن الاٹ کر سکتی ھے- اگر کوئی اسطرح کا ثبوت ھے مجھے بتلا دیں خواہمخواہ الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں- اگر الزام لگانا ھو تو باھر لگائیں سدن میں نہیں-

†[**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** यह जो इल्जाम इन्होंने लगाया है, यह जो बात इन्होंने कही है बिल्कुल गलत है। कई बार इस सदन में कह चुका हूं कोयले की डिस्ट्रीब्यूशन का जहां तक ताल्लुक है स्टेट गवर्नमेंट इसको एसपोंसर्ड करती है। रेलवे कोयला नहीं बेचती वैगन्स सप्लाई करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपना इन्डेन्ट भेजते हैं और उनको एसपोंसर्ड किये हुए प्रोग्राम के मुताबिक दिये जाते हैं। यह गल्त है रेलवे मंत्रालय या मिनिस्टर किसी को वैगन एलाट कर सकती है। अगर कोई इस तरह का सबूत है मुझे बतला दें खामख्वाह इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर इल्जाम लगाना हो तो बाहर लगायें सदन में नहीं।]

श्री राजनारायण : अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको लगाए गए आरोपों का प्रमाण दे सकता हूं।

श्री सीता राम सिंह : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है। मेरे पास इनके संबंध में प्रमाण हैं . . .

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

श्री सीता राम सिंह : मैं कुरेशी साहब से मिला हूं। एक को-आपरेटिव सोसाइटी है उसको 6 महीने से वैगन नहीं मिला।

MR. CHAIRMAN : No, no; I overrule this point of order. Mr. Prakash Vir Shastri.

श्री राजनारायण : मंत्री जी जो यह चुनौती देते हैं इसके मायने क्या हैं। यह हमको धमकाना चाहते हैं कि हम सही सवाल भी न पूछें। मेरा यह निवेदन है कि यह अनपार्लियामेंटरी है, ब्रीच आफ प्रिविलेज है, सदन का अपमान है और हमारे अधिकारों को कुंठित करने की चेष्टा है। मैं आपसे अदब से कहना चाहता हूं, आपकी

†[ ] Hindi transliteration.

पूरी प्रतिष्ठा करते हुए कि आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि वे सदन छोड़ कर आरोपों का प्रमाण देखने चलें ।

SHRI NIREN GHOSH : Everybody knows that there is corruption. . .

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Niren Ghosh. Mr. Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं आपके माध्यम से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई सन्देह बढ़ जाए और सन्देह इतने बढ़ जायें कि सरकार का चरित्र पार्लियामेंट और विधान मंडलों से गिर जाए तो सरकार को चाहिए कि कुछ इस प्रकार की निष्पक्ष समितियां बनाए जिससे इन सन्देहों का निराकरण हो सके । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां जो वैगन्स की एलाटमेंट होती है उनके लिए क्या इस प्रकार के निष्पक्ष संगठन बनाने के लिए तैयार हैं जिससे इस प्रकार के संदेहों का निराकरण हो सके ?

شری محمد شفیع قریشی: جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس کے لئے نیم بنے ہوئے ہیں- اسٹیٹ گورنمنٹ مائنز منسٹری، ریلوے منسٹری والے سب مل کر یہ نیم بناتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی-

†[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैंने पहले कहा इसके लिए नियम बने हुए हैं, स्टट गवर्नमेंट माइन्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री वाले सब मिलकर यह नियम बनाते हैं । इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती ।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी मैंने जो प्रश्न किया था बिल्कुल छोटा और स्पष्ट किया था । मेरा प्रश्न यह है कि यह जो सन्देह बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं, रेलवे मंत्रालय और सरकार बदनाम हो रही है तो इस बदनामी से और इन सन्देहों का निराकरण करने के लिए क्या सरकार इस प्रकार के निष्पक्ष संगठन बनाने को तयार है जिससे इन संदेहों का निराकरण हो सके ? सरकार की पद्धति क्या है यह मेरा प्रश्न नहीं है ?

شری محمد شفیع قریشی: اگر کوئی پالیسی غلط ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے مگر کسی کے دماغ میں وہم ہو تو اسے کیسے دور کیا جاسکتا ہے-

†[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अगर कोई पालेसी गलत हो तो उसको ठीक किया जा सकता है, मगर किसी के दिमाग में वहम हो तो उसे कैसे दूर किया जा सकता ह ।]

श्री सभापति : आप तैयार नहीं है ?

شری محمد شفیع قریشی: ہمارے جو نیم بنے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک بنے ہوئے ہیں-

[†श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमारे जो नियम बने हुए है वह बिलकुल ठीक बने हुए हैं ।]

SHRI T. N. SINGH : There used to be a Coal Board in the past which took care of allotment of wagons for coal transportation and distribution. We read in the papers sometime ago that the Railway Ministry has abolished that Coal Board. Is it a fact ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: No Sir.

SHRI SANAT KUMAR RAHA: Sir, it is not a question of rock phosphate only. There is bungling in the Railway Board regarding wagon supply in respect of production and distribution . . .

MR. CHAIRMAN: Kindly put your question relevant to this subject.

SHRI SANAT KUMAR RAHA: I put this question whether the Railway Board or the Government has got any

+[ ] Hindi transliteration.

intelligence report about the *bona fide* distribution of wagons, as enquired by the intelligence branch of the Railways. The public is always in doubt about the *bona fide* character of the supply of wagons. So I would like to know whether the Railway Board has got any intelligence regarding this matter or not.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Sir, I have already said that we have certain rules and procedures laid down for allotment of wagons. If the hon. Member has any specific . . .

SHRI RAJNARAIN: These rules are not being implemented.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: If the hon. Member has any specific case in mind where he thinks we have deviated from the rules, certainly we will look into it.

SHRI SANAT KUMAR RAHA: 1 want to know whether there is any rule of the Government that every distribution of wagons should be enquired into by the Intelligence Branch.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Unless there is a specific allegation that we have deviated from the rules, where is the question of an inquiry.

MR. CHAIRMAN: Next Question.

रेल कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना

*298. डा० राम कृपाल सिंह :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिंसा और तोड़-फोड़ के आरोपों पर बहुत से रेल कर्मचारियों पर अभियोग चलाया गया किन्तु न्यायालय में इन आरोपों के प्रमाणित होने के पूर्व ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

[Dismissal of Railway Employees

♦298. DR. RAMKRIPAL SINHA :+
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of railway employees were pro secuted on charges of violence and subo-tage, but were dismissed prior to the establishment of these charges in a Court of law ; and

(b) if so, what are the reasons there for ?]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and
(b) Pendency of the court proceedings does not bar the disciplinary authority to take action under Discipline and Appeal Rules and impose any penalty.

[रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) अदालती कार्यवाही के दौरान अनुशासन प्राधिकारी पर अनुशासन और अपील नियमों के अधीन कार्य-वाही करने तथा दण्ड देने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं है ।]

DR. RAMKRIPAL SINHA: I want to know from the hon. Minister as to how many employees have been dismissed and how many cases have been established in a court of law.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Sir, the number of employees who have been dismissed and removed from service under Rule 14 of the Discipline and Appeal Rules is 10,310 and out of these, 3,203 have been reinstated.

[ ] English translation

$The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ramkri-pal Sinha.

[ ] Hindi translation.